



2026:AHC: 173062

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 1095 वर्ष 2026

अक्षय कुमार गुप्ता

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : वरिष्ठ अधिवक्ता, तरुण अग्रवाल, उमेश चंद्र शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : मिथिलेश कुमार शुक्ला, निखिल सिंह, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश चंद्र शुक्ला की सहायता से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित डागा, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया, और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ के न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमा अपराध संख्या 220 वर्ष 2024, थाना पिलखुआ, जिला हापुड़ से उत्पन्न आपराधिक वाद संख्या 14847 वर्ष 2024 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अर्शित अग्रवाल और अन्य), भा.द.सं. की धाराओं 313, 120-बी, 342, 307, 504, 506 और 328 के अंतर्गत आरोप-पत्र दिनांक 01.11.2024, संज्ञान/तलबी आदेश दिनांक 08.11.2024, के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, सूचनादाता ने 03.07.2021 को अपनी पुत्री साक्षी मित्तल का विवाह आवेदक अक्षय कुमार गुप्ता के साथ किया था। विवाह के पश्चात, आवेदक ने कहा कि उसे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सूचनादाता की पुत्री पसंद नहीं है और उसे प्रियंका गर्ग नामक एक महिला से प्रेम है और तत्पश्चात उसे उत्पीड़न का शिकार बनाया। उसके गर्भधारण के दौरान, आवेदक ने उसे कुछ दवाएं दीं, जिसके परिणामस्वरूप उसका गर्भपात हो गया। तत्पश्चात आवेदक और अन्य अभियुक्तों ने उसका गर्भपात कराने और धीमा जहर देकर उसे मारने की साजिश रची। 25.03.2024 को, पीड़िता को कथित तौर पर आवेदक के मोबाइल फोन पर इंस्टाग्राम चैट मिली जिससे कथित साजिश का खुलासा हुआ। 01.04.2024 को, आवेदक और सह-अभियुक्त अमित बंसल ने पीड़िता को एक कमरे में बंद कर दिया और रस्सी से उसका गला घोटने का प्रयास किया। तत्पश्चात, आवेदक ने कथित तौर पर पीड़िता को पिलखुआ में छोड़ दिया और यदि उसने घटना का खुलासा किया तो उसे गंभीर परिणामों की धमकी दी। तत्पश्चात, पीड़िता ने अपने पिता को घटना के बारे में सूचित किया, जिन्होंने अभिकथनों और कथित इंस्टाग्राम चैट के आधार पर वर्तमान एफआईआर दर्ज कराई।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एफआईआर 01.05.2024 को कथित घटना दिनांक 01.04.2024 से एक महीने के विलंब के पश्चात दर्ज की गई थी और यह झूठे और मनगढ़ंत आधारों पर आधारित है, जिसका परोक्ष उद्देश्य आवेदक को परेशान करना है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने अपनी पत्नी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने और उसकी मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद, उसने इस बात पर जोर दिया कि आवेदक अपने परिवार से अलग रहे।

5. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने अपनी पत्नी से अपने वैवाहिक घर लौटने का बार-बार अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं लौटी और तत्पश्चात, आवेदक को वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि चिकित्सा साक्ष्य विशेष रूप से आवेदक को कथित चोटों से नहीं जोड़ता है और बाद की चिकित्सा रिपोर्ट में हेरफेर किया गया प्रतीत होता है क्योंकि यह स्थापित करने के लिए कोई ठोस चिकित्सा या अन्य साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने कथित मिस्ड एबॉर्शन (गर्भपात) का कारण बना या उसके लिए जिम्मेदार था या पीड़िता को अपना गर्भ समाप्त करने के लिए विवश किया। कथित मिस्ड एबॉर्शन(गर्भपात) को आवेदक के किसी भी अवैध कृत्य से नहीं जोड़ा गया है। इसलिए, यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इस आधार पर आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन की कहानी स्वयं दर्शाती है कि आवेदक के विरुद्ध आरोप मुख्य रूप से कथित इंस्टाग्राम चैट और पीड़िता द्वारा किए गए बाद के अभिकथन पर आधारित हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष का अभिकथन है कि आवेदक ने दवाएं दीं जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात हुआ और तत्पश्चात सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर गर्भपात कराने और धीमा जहर देकर पीड़िता को मारने की साजिश रची, यह स्थापित करने वाला कोई ठोस चिकित्सा साक्ष्य नहीं है कि कथित गर्भपात आवेदक के किसी भी कार्य के कारण हुआ था।

7. यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक 01.04.2024 के संबंध में अभिकथन, जिसमें आवेदक ने कथित तौर पर पीड़िता को बंद कर दिया और उसका गला घोटने का प्रयास किया, आवेदक को कथित चोटों से जोड़ने वाले विश्वसनीय चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। यद्यपि चोट रिपोर्ट दर्शाती है कि पीड़िता की चोटें ताजी चोटें हैं और घायल को एक उच्च चिकित्सा केंद्र में संदर्भित किया गया है, लेकिन यह आवेदक की विशिष्ट भूमिका स्थापित नहीं करती है।

8. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि एफआईआर में किए गए अभिकथन विशिष्ट और गंभीर प्रकृति के हैं और आवेदक के विरुद्ध संज्ञेय अपराधों के किए जाने का खुलासा करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवाह के पश्चात, आवेदक ने अपनी पत्नी को उत्पीड़न का शिकार बनाया और उसके गर्भधारण के दौरान, कुछ दवाएं दीं, जिसके परिणामस्वरूप गर्भपात हो गया। तत्पश्चात, आवेदक ने, सह-अभियुक्तों के साथ साजिश में, कथित तौर पर उसका गर्भपात कराने और धीमा जहर देकर उसे खत्म करने का प्रयास किया।

9. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि 25.03.2024 को, कथित पीड़िता को आवेदक के मोबाइल फोन पर इंस्टाग्राम चैट मिली जिससे कथित साजिश का खुलासा हुआ। तत्पश्चात, 01.04.2024 को, आवेदक और सह-अभियुक्त अमित बंसल ने कथित तौर पर पीड़िता को एक कमरे में बंद कर दिया और रस्सी से उसका गला घोटने का प्रयास किया। तत्पश्चात, आवेदक ने कथित तौर पर उसे पिलखुआ में छोड़ दिया और यदि उसने घटना का खुलासा किया तो उसे गंभीर परिणामों की धमकी दिया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि एफआईआर दर्ज करने में विलंब को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है और इस प्रक्रम पर कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए एफआईआर दर्ज करने में विलंब एक आधार नहीं हो सकता है। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सा साक्ष्य, पीड़िता और अन्य साक्षियों के बयान, और अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री प्रथम दृष्टया अभियोजन के प्रकरण का समर्थन करती है। चिकित्सा रिपोर्ट, कथित गर्भपात और इंस्टाग्राम चैट की प्रामाणिकता के संबंध में विवादित प्रश्न साक्ष्य के मामले हैं और बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत कार्यवाहियों में उनका न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है। विवेचना के दौरान दर्ज किए गए अपने बयान में स्वतंत्र साक्षी मनीष गोयल ने कहा कि आवेदक कथित तौर पर पीड़िता को परेशान कर रहा था और वह प्रियंका गर्ग नामक महिला के साथ संबंध में था और उसने कथित तौर पर पीड़िता को कोई दवा दी थी, जिसके पश्चात उसका गर्भपात हो गया और पीड़िता को उसके पति सहित उसके वैवाहिक परिवार द्वारा परेशान किया जा रहा था।

11. यह भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इंस्टाग्राम चैट के स्क्रीनशॉट से आवेदक और प्रियंका गर्ग के बीच साक्षी को उसके मायके से वापस न लाने, विवाह समाप्त करने के संबंध में संबंधों का खुलासा होता है।

12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप विशिष्ट और गंभीर प्रकृति के हैं। अभियोजन का प्रकरण पीड़िता के बयान, स्वतंत्र साक्षी मनीष गोयल के बयान, चिकित्सा सामग्री और विवेचना के दौरान एकत्र किए गए इंस्टाग्राम चैट के स्क्रीनशॉट द्वारा समर्थित है।

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि कोई चिकित्सा साक्ष्य नहीं है, आवेदक का कथित गर्भपात या चोटों के साथ कोई संबंध नहीं है और चिकित्सा रिपोर्ट में हेरफेर किया गया है, तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं, जिनका बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत कार्यवाहियों में न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, इंस्टाग्राम चैट की प्रामाणिकता और साक्ष्यिक मूल्य, साथ ही आवेदक का बचाव पक्ष, विचारण के विषय वस्तु हैं, जिनका साक्ष्य के आधार पर न्यायनिर्णयन किया जाएगा। द.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज स्वतंत्र साक्षी मनीष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गोयल के बयान से जिसमें यह कहा गया है कि आवेदक पीड़िता को परेशान कर रहा था और दवाएं दिए जाने के पश्चात उसका गर्भपात हो गया था। कथित इंस्टाग्राम चैट भी प्रथम दृष्टया पीड़िता, विवाह के विघटन, आवेदक और प्रियंका गर्ग के बीच संबंध और कथित गर्भपात के संबंध में चर्चाओं का खुलासा करते हैं। इस स्तर पर इन सामग्रियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

14. यह स्थापित है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, इस न्यायालय को साक्ष्य का विस्तृत मूल्यांकन करने या अभियुक्त के बचाव की जांच करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि विचारण का संचालन कर रहा हो। इस स्तर पर, न्यायालय को केवल यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या आरोप और विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री प्रथम दृष्टया कथित अपराधों के किए जाने का खुलासा करती है।

15. आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णयों में स्थापित किया गया है:

- (i) आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866;
- (ii) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम हरियाणा राज्य, (1977) 4 एससीसी 451;
- (iii) पश्चिम बंगाल राज्य बनाम स्वपन कुमार गुहा, (1982) 1 एससीसी 561;
- (iv) धनलक्ष्मी बनाम आर. प्रसन्ना कुमार, 1990 सप्प एससीसी 686;
- (v) हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्प (1) एससीसी 335;
- (vi) बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 सप्प (1) एससीसी 222;
- (vii) बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य, (2003) 4 एससीसी 675;
- (viii) सनापारेड्डी महीधर शेषगिरि और एक अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2007) 13 एससीसी 165;
- (ix) तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी और अन्य, (2017) 2 एससीसी 779; और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(x) मेसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, एआईआर 2021 एससी 1918।

16. स्थापित विधिक स्थिति और वर्तमान वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, यह न्यायालय वर्तमान आवेदन में कोई गुण-दोष नहीं पाता है। यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि एफआईआर या आपराधिक कार्यवाहियां दुर्भावनापूर्ण, तुच्छ या तंग करने वाली हैं। अभिकथन, उनके प्रथम दृष्टया रूप में लिए जाने पर, प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों के किए जाने का खुलासा करते हैं और इसलिए, प्रारंभिक स्तर पर हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

17. परिणामस्वरूप, आरोप-पत्र दिनांक 01.11.2024, संज्ञान/तलबी आदेश दिनांक 08.11.2024 और आपराधिक वाद संख्या 14847 वर्ष 2024 की संपूर्ण पारिणामिक कार्यवाहियों को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

18. तदनुसार, आवेदन खारिज किया जाता है।

17 अगस्त, 2026

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”